रजस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 1979/कार्तिक 18, 1901
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 1979/KARTIKA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सं० प्रतिअदायगी/सा०शु० 77/79

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1979

का० सं० 602/1/79-डी० बी० के०—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 -प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० शु० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

उप क्रम सं० 2502 की मद (क) की उप-मद (ब) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(ङ) ऊन अन्तर्वस्तु—

(i) बुनाई किस्म के वर्स्टेड सूत में।	25 50 रु०	(केवल पच्चीस रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ii) हौजरी/हाथ की बुनाई किस्म के वर्स्टेड सूत में।	23 95 रु०	(केवल तेईस रुपये पचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु शर्त यह है कि ऊन अन्तर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी तभी स्वीकार्य होगी जब पात लदान के समय निर्माता/निर्यातकर्ता यह घोषित करता है और यदि आवश्यक हो, तो सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह प्रस्तुत करता है कि सूत वर्स्टेड सूत है।

2 उप क्रम सं० 2502 की मद (ख) के बाद निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(ग) 21 बी० डब्ल्यू० एस० या उससे कम सूत्रांक का वर्स्टेड सूत, (जिसमें हाथ की बुनाई/हौजरी का वर्स्टेड सूत शामिल हो) जिसमें कुल तंतु अन्तर्वस्तु पर परिगणित ऊन का भार 50 प्रतिशत से अधिक हो।	9 30 रु०	(केवल नौ रुपये तीस पैसे प्रति किलोग्राम ।

परन्तु शर्त यह है कि ऊन अन्तर्वस्तु के बारे में प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर तभी स्वीकार्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता पात-लदान के समय यह घोषित करता है और यदि आवश्यक हो, तो सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह सबूत प्रस्तुत करता है कि सूत वर्स्टेड सूत है।

3. उप क्रम सं० 2503 के खण्ड (ग) की मद सं० (i) की उप मद (घ) के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

ऊन अन्तर्वस्तु—

(ङ) बुनाई किस्म के वर्स्टेड सूत में।	26.55 रु० (केवल छब्बीस रुपये पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम)।
(च) ऊन अन्तर्वस्तु : होजरी/हाथ की बुनाई किस्म के वर्स्टेड सूत में।	25.00 रु० (केवल पच्चीस रुपये) प्रति किलोग्राम।

परन्तु शर्त यह है कि, संश्लिस्ट तन्तु/ऊन अन्तर्वस्तु के बारे में प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर सभी स्वीकार्य होगी, यदि निर्माता/निर्यातकर्त्ता पोत-लदान के समय यह घोषित करता है और यदि आवश्यक हो तो सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह सबूत प्रस्तुत करता है कि :—

(क) उपर्युक्त मद (ङ) और (च) के अन्तर्गत प्रयुक्त सूत वर्स्टेड किस्म का है ; और

(ख) तन्तु (तन्तुओं) पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत कोई रिबेट प्राप्त नहीं की गई है।

4. उप क्रम सं० 2503 की मद (ग) की उप मद (i) के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ii) 21 बी० डब्ल्यू० एस० उससे कम सूत्रांक के वर्स्टेड सूत से, (जिसमें हाथ की बुनाई/होजरी का वर्स्टेड सूत शामिल है) जिसमें कुल तंतु अन्तर्वस्तु पर परिगणित ऊन का भार 50 प्रति शत से अधिक हो, निर्मित माल में ऊन अन्तर्वस्तु।	9.70 रु० (केवल नौ रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु शर्त यह है कि ऊन अन्तर्वस्तु के बारे में प्रति अदायगी की उपर्युक्त दर सभी स्वीकार्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्त्ता पोत-लदान के समय यह घोषित करता है और, यदि आवश्यक हो, तो सहायक सीमा-शुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह सबूत प्रस्तुत करता है कि सूत वर्स्टेड सूत है।

5. यह सार्वजनिक सूचना अक्तूबर, 79 के चौथे दिन से लागू हुई समझी जायगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NO. DRAWBACK/PN-77/79

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th November, 1979

F. No. 602/1/79-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. After sub-item (d) of item (A) of sub-serial No. 2502 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(a) Wool Content—	
(i) In the worsted yarn of weaving quality.	Rs. 25.50 (Rupees twenty five and paise fifty only) per kg.
(ii) In the worsted yarn of hosiery/hand knitting) quality.	Rs. 23.95 (Rupees twenty three and paise ninety five only).

Provided that drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and, if necessay, produce proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the yarn is Worsted yarn.

2. After item (B) of sub-serial No. 2502, the following shall be inserted, namely :—

(C) Worsted yarn, (including worsted hand knitting/ hosiery yarn) of 21 BWS or less counts, containing more than 50% by weight of Wool calculated on the total fibre content.	Rs. 9.30 (Rupees nine and paise thirty only) per kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible if the manufacturer/ exporter at the time of shipment declares and, if necessary, produces proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the yarn is Worsted yarn.

3. After sub-item (d) of item (i) of clause (C) of sub-serial No. 2503, the following shall be inserted, namely :—

(e) Wool Content— in the worsted yarn of weaving quality.	Rs.26.55 (Rupees twenty six and paise fifty five only) per kg.
(f) Wool Content worsted yarn of hosiery/ hand knitting quality	Rs. 25.00 (Rupees twenty five only) per kg.

Provided that the drawback at the above rate on account of synthetic fibre/wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and if necessary produces proof of the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that—

(a) the yarn used under item (e) and (f) above is of worsted type; and

(b) not rebate of the Central Excise duty paid on the fibre(s) has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

4. After sub-item (i) of item (C) of sub-serial No. 2503, the following shall be inseted, namely :—

(ii) Wool content in the goods made out of Worsted yarn (including Worsted hand knitting/hosiery yarn) of 21 BWS or less content containing more than 50% by weight of Wool calculated on the total fibre content.	Rs. 9.70 (Rupees nine and paise seventy only) per kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of Wool content may be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and, if necessary, produces proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Csutoms that the yarn is worsted yarn.

5. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 4th day of October, 1979.

शुद्धि-पत्र

सं० प्र० अ०/सा० सू० 78/79

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1979

फा० सं० 662/1/79-डी० बी० के०.—भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 18 जुलाई, 1979 की सा० सू० सं० प्र० अ०/सा० सू० 48/79 में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित शुद्धियां करती है, अर्थात् —

"माप का विवरण" स्तम्भ में उप मद (क) में "क्षेत्र" शब्द के बाद और "उपर्युक्त" शब्द के पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रत्येक मुख्य संवाहक के"

CORRIGENDA

NO. DRAWBACK/PN-78/79

New Delhi, the 9th November, 1979

F. No. 602/1/79-DBK.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-48/79 dated the 18th July, 1979 published in Part I, Section (1) of the Gazette of India (Extra ordinary), the Central Government hereby makes the following corrections therein, namely:—

In the column 'Description of goods' in sub-item (a) after the words "area" and before the Words "above" the following shall be added, namely :—

"of each main conductor"

सं० प्रति अधावगी/सा० सू० 79/79

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1979

फा० सं० 602/1/79 डीबीके:—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 31 अगस्त, 1979 की सार्वजनिक सूचना सं० प्र० अ०/सा० सू० 58/79 में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ती है :—

अन्त में निम्नलिखित "टिप्पणी" जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी.—यह सा० सू० 12 जुलाई, 1977 से लागू हुई समझी जाएगी।

महेश कुमार, अवर सचिव

NO. DRAWBACK/PN-79/79

New Delhi, the 9th November, 1979

F. No. 602/1/79-DBK.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-58/79 dated 31-8-1979 published in Part I, Section 1) of the Gazette of India, Extra-Ordinary, the Central Government hereby makes the following additions therein :—

At the end, the following 'Note' shall be added, namely :—

"Note:—This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 12th July, 1977".

MAHESH KUMAR, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979